

असाधारए। EXTRAORDINARY

भाग II--- बण्ड इ---वाप-पण्ड (11) PART II---Section 3---Sub-section (N)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 130] नई विल्ली, बृहस्पतिवार, मार्ख 3, 1988/फाल्गुम 13, 1909 No. 130] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 1988/PHALGUNA 13, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है किससे कि यह जलग संकलन के रूप में रका का तके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-मुतल परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 1988

का. आ. 241(अ) :----जबकि इसम उपावद अनुसूची में निविष्ट विभिन्न गोदी कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) स्कीभो में और संयोधन करने के लिये स्कीम का प्रारूप धारत राजपत्र दिर्नाक 19 सितम्बर, 1987 के धाग 2 खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में पृष्ठ 3138 से 3140 पर भारत सरकार जल-भूतल परिवहन मंत्रालय की अधिमूचना का.आ.स. 2544 दिनांक 3-9-87 द्वारा गोदी कर्मचार्रा (नियोजन का विभियमन) अधिनियम 1948(1948 का 9वां) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा यथा-अरोजिन रूप में प्रकाणिन किया गया था. और ऐसा करने समय उस पर सरकारी राजपत्न में उफ्न अधिसूचना के प्रकाशन की नारीच्च से 45 दिन की अवधि के भीतर उन सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, आपत्तियां तथा मुझाथ मंगाये गये थे ; तथा जबकि उक्त राजपक्ष की प्रतियां जब जन-साधारण को 24 सिनम्धर, 87 को उपलब्ध कराई गई थीं।

और जबकि जन-साधारण में उक्त प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर शिया गया है,

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियिम की घारा (4) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त गवितयों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :---

स्कीम

 (1) यह स्कीम गोवी कर्मचारी (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम 1988 कहलायेगी।

(2) यह राजपत्न में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

2. इससे जपाबद अनुसूची के स्तम्भ (2) में जन्मित्रखित डाक कर्मचारी (नियोजन का चिनियमन) स्कीम को उस रीति से संशोधित किया जायेगा जैसा कि उसके स्तंघ (3) में विनिधिष्ट किया गया है।

557 GI/88

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

अनुसूची		1	2	3	
क्म सं. संक्रिप्त नाम	संघोधन			(3) खण्ड 15 में, उपधण्ड (1) में मद (ग) के स्थान पर निम्नसिखित मद	
1 2	3			रर्षा जायेगी, अर्थान् :	
1. सम्बई डाक कर्मवारी (निमोजन का विनियमन) स्कीम, 1956	(1) खण्ड 7 के उप खंड (1) में (क) मद (ग) में "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों का सोप किया जायेगा।			''(ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें मद्रास पत्तन ग्यास के जब्धक द्वारा मौमारक के रूप में क्रूरय करने	
	(बा) मदा (घ) में, ''समायोजन करने'' शब्दों का लौप किया जायेगा।			के सिमें अनुज्ञदित दी गई गई है, अनुज्ञपित के चालू रहने के दौरान स्कीम के अधीन	
	(2) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का लोप किया आयेगा;			रजिस्ट्रीक्टत किया गया समझो जायेगा ।'',	
	(3) खण्ड 15 में, उपखण्ड (1) में, मद (ग) के स्थान पर निम्भलिकित मद रखी आयेगी, अर्थाष् :			(4) खण्ड 45 के उपबाण्ड (1) की मद्र (2),में, "थोर्डे" ग्राब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर आहां वे आते हैं,	
	''(ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें अम्बई पत्तन क्यास के अघ्यक्ष			''अम्पक" शब्द रवा जायेगा। (5) बण्ड 48 में,	
	द्वारा नौभारक के रूप में इत्य करने के लिये अनुक्राप्त दी			(5) चण्ड 23 ग, (क) उपखण्ड (2) का लोप किया	
·	कृत्य करने के लिय अनुकारत वो गई हैं, अनुक्राप्ति के चालू रहने के दौरान स्क्रीम के अधीन रजिस्ट्रीक्वत किया गया समझा जायेगा।"			(म) उपखण्ड (2) मा पाप किया जायेगा तथा उपखण्ड (3), (4) व (5) को, उपखण्ड (2), (3) व (4) के कप में पुनः संख्याकित किया जायेगा।	
	(4) खण्ड 44 के उपखण्ड (1) की मव (2) में, उपमद(ख) में, "बोर्ड" प्राव्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे जाते हैं, "अध्यक्ष" सब्द रखा रखा जाएगा ।			(खा) इस प्रकार पुनः संख्यांकित किये गये उपखण्ड (3) में शब्वों, ब्रेकटों व अंकों "उपखण्ड(1), (2) व (3)" के स्थान पर "उपखण्ड (1) व (2)" रखा जायेगा	
	(5) खण्ड 48ं में,—— (क) उप खण्ड (2) का सोप किया जायेगा तथा उपखण्ड (3), (4) व (5) को कमशः (2),(3) व (4) के रूप में पुनः संख्योकित किया	(fi	ोन बाक कर्मबारी ग्योजन का विनियमन) ोम, 1959	(1) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में, (क) मद (ग) में, "रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और" शब्दों का लोप किया जायेगा,	
	जायेगा। (ख) इस प्रकार पुषः संक्यांकित किये गये			(ख) मद (ष) में, ''समायोजन करने" प्राक्यों का खोप किय जायेगा,	
	उप खाण्ड (3) में, शब्दों, बेकटों व अंकों "उपखण्ड (1), (2) व (3)" के स्थाम पर "उपखण्ड (1) व (2)"		• •	(2) खण्ड 8 में, उपधण्ड (व) का लोग किया जायेगा,	
 मब्रास डाक कर्मचारी (गियोजन का विनियमेग 	रखा जायेगा। (1) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में,) (क) सद (ग) में, "रजिस्ट्रीइहत		,	(3) खप्प 15 में, उपखण्ड (1) में, म (ग) के स्थान पर निम्नसिखित म रची आयेगी, अर्थात्:	
स्कीम, 1956	्रियोजको और'' शब्दों को लोप किया जायेगा ।			"(ग) ऐसे व्यक्तियों को जिल कोक्वीन पत्तन न्यास के अख्य	
	(दा) सद (घ) में, ''समायोजन करने'' सम्वीं का लोप किया जायेगा,			द्वारा नीमारक के रूप में क्वर करने के लिय अनुझर्पित दी ग है, अनुझर्पित के जालू रहने	
	(2) आरण्ड 8 में, उपआरण्ड (व) का लोग किया जायेगा,			वौरान स्क्रीम के अर्ध रजिस्ट्रीइन्द्र किया गया सम जायेगा ।''	

2

1 2	3	1	2	3
	(4) खण्ट 45 के उपखण्ड (1) की मद (2) में, उपमद(ख) में, "बोबें" शब्द के स्थान पर, दांनों स्थानों पर अहां बे आते हैं, "क्षान्यक्ष" शब्द एखा जायेगा।	·		(खा) इस प्रकार पुनः संख्यांकित किये गये उप खण्डा (3) में, शब्दों, ब्रेकटों, व अंकों ''उपखण्ड (1), (2) व (3)'' के स्यान पर ''उपखण्डा (1) व (2)''
	(5) खण्ड 49 में,			रखा जाएगा।
	(क) उपखण्ड (2) का लोप किया			
	आयेगा सथा उपखण्ड(3), (4)व(5)को उपखण्ड(2) (3)व(4)के रूप में पुनः संख्याकिस किया आयेगा।	5 मारमुगाओं (नियोजन स्कीम, 1९	का विनियमन)	(1) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में, (क) मद (ग) में, ''रजिस्ट्रीक्वल नियोजकों और'' शब्दों का सोप किया जाएगा,
	(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित किये			
	गये उपखण्ड (3) में, शब्सों, ब्रेकटों व अंकों "उपखण्ड (1),			(ख) मद (घ) में "समायोजन ंकरने" झम्बों का खोप किया जायेगा,
	(2) व (3)" के स्यान पर "उप व ण्ड (1), व (2)			
	रबा जायेगा।			(2) खण्ड 8 में, उपचण्ड (घ) का सोप किया जायेगा,
 विषाखापसनम डाक कर्म- षारी (नियोजन का 	(1) बाण्ड 7 के उपधाण्ड (1) में,— (क) मद (ग) में, "रजिस्ट्रीइन्स			(3) साण्ड 16 में, उपसाण्ड (1) में,(ग)
बारा (तिपालन का बितियमन) स्कीम, 1959	(म) गय (म) म, रामप्रतिय नियोभकों और '' शब्वों का लोभ किया जायेगा,			(3) घोटा २३, ८२ व २२, ७२, ७ के स्थान पर निम्नसिखित मद रखी आएगी, अर्थात्:⊶
	(क्स) मव (घ) में, ''समायोजम करने'' शब्दों का लोप किया जायेगा,			"(ग) ऐसे व्यक्तियों को जिस मारमुगाओं पत्तन ध्यास ब अध्यक्ष द्वारा नौभारक के रूप
	(2) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का लोप किया जायेगा,			में क्लस्य करने के लिये अनुकाप वी गई है, अनुकाष्ति के चार
	(3) खण्ड 14:में, उपचण्ड (1) में मद (ग) के स्थान पर निम्नसिखित मद रर्खा जायेगी, अर्घास्:			रहुने के बौरान स्कीम के अधीः रजिस्ट्रीक्रंत किया गया समझ जायेगा ।"
	"(ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें विशाखा-			(4) खण्ड 46 के उपखण्ड (1) की मय
	पटनम पत्तन न्यास के अध्यक्ष धारा नौभारक के रूप में क्रत्य			(2) में, उपमद (ख) में, "बोबें" सब्स के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे
	करने के लिय अनुक्राप्ति ये। गई है, अनुक्राप्ति के भाष्नु रहने के			क स्थान पर, पान स्थान नर अहर आते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जायेगा
	वौराम स्कीम के अर्धान रजिस्ट्रीइन्त किया गया समझा			(5) खण्डाः 50 में,
	जायेगा ।"			(क) उपखण्ड (2) का लोप किया
	(4) खण्ड 44 के उपखण्ड (1) की मव			जायेगा तथा उपखण्ड (3) (4).व (5) को कमशः उप
	(2) में, उपमय (ख) में, "बोर्ड" शब्द			(4) प (3) मा नगरा उ खण्ड (2), (3) व (4) के
	के स्थान पर, दोनों स्थामी पर जहां थे			कृप में पुनः संबधांकिल किया
	आते हैं, "मध्यक" शम्य रखा जायेगा ,			जायेगा ।
	(5) साण्य 48 में,			(च) इस प्रकार पुनः संख्यांकित किये
	(क) उपसाण्य (2) का लोप किया			गये उपखण्ड (3) में शम्वों,
	जायेगा तया उथखण्ड (3),			ब्रेकटों व अंकों "उपखण्ड(1),
	(4) व (5) को आत्मप्राः उप-			(2) व (3)" के स्थान प
	खण्ड (2), (3) व (4) के कप में पुनः संक्र्याफिल किया			"उप-बण्ड (1) ब(2)" रखा
	कप म पुनः सक्याकत कप। जायेगा ।			जायेगा ।

.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

4

1 2	3	1 2 3
8. कडिला डाक कर्मचारी (नियोजन का बिनियमन) स्कीम 1969	(1) खण्बा 7 के उपखण्ड (1) में, (क) सद (ग) सें, ''रजिस्ट्रीइल नियोजकों और'' शब्दों कालोप	(3) खण्ड 17 में, उपखण्ड (1) में, मद (ग) के स्थान पर निम्मलिखिन मद रर्खा जायेगी, अर्थात् :
	किया आयेगा, (ख) मद (घ) में, ''समायोजन करने'' शब्दों का लोप किया जायेगा, (2) खण्ड 8 में, उपखण्ड (घ) का लोप किया जायेगा,	''(ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें कलकत्ता पद्यन न्यास के अध्यक्ष द्वारा नौभारक के रूप में छुल्य करने के लिय अनुक्षप्ति दी गई है, अनुक्षप्ति के चालू रहने के दौरान स्क्रीम के अधीन रजिस्ट्रीक्वत किया गया समझ्य जायेगा ।''
	(3) खण्ड 16 में, उपखण्ड (1) में मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखिन म _व रखी जायगी, अर्थात् :	(4) खण्ड 48 के उपखण्ड (1) की मद (2) में, उपसद (स्व) में, ''बॉर्ड'' मारूद के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे
	''(ग) ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें काटला पत्तन न्यास के अध्यक्ष द्वारा	आते हैं, ''अध्यक्ष'' शब्द रखा जायेगा । (5) खण्ड 52 में,
	नौभारक के रूप में इत्य करने के लिय अनुप्राप्ति वी गई है,	(5) फोण्ड 52 म,~∽ (क) उपखण्ड (2) का सोप किया
	अनुझप्ति के जालू २हने के बौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जायेगा ।''	जायेगा तथा उपखण्ड (3), (4) व (5) को कमशः उप खण्ड (2), (3) व(4) के रूप में पुषः संख्यांकित किया जायेगा।
	(4) खण्ड 46 के उपखण्ड (1) की मद (2) में, उपमद (ख) में, ''बॉर्ड'' गब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं ''अध्यक्ष'' गब्द रखा जायेगा	(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित किये गये उपखण्ड (3) में एक्यॉ ब्रेकटों व अंकों ''उपखण्ड(1) (2) ज (3)'' के स्थान पर ''उपखण्ड (1) व (2)'' रख
	(5) खण्ड 50 में,	जायेगा ।
	(क) उपखण्ख (2) का लोग किया जायेगा तथा उपखण्ड (3), (4) व (5) को त्रमशः उप- खण्ड (2), (3) व (4) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा ।	[फा.सं. एल बी-13013/7/87-एल-4] योगेन्द्र नारायण, संयुक्त मचिव MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
	(-ख्र) इ.स. प्रकार पुनः संख्यांकित किये गये उपखण्ड (3) में सब्दा, ब्रेकटों व अंकों ''उपखण्ड(1),	NOTIFICATION New Delhi, the 3rd March, 1988
	(2) व (3)" के स्थान पर ''उपखण्ड (1) व (2)" रखा जायेगा ।	S. O. 241(E):Whereas draft of a scheme to amena various Dock Workers (Regulation of Employment) Sche- mes specified in the Schedule annexed hereto was published
. कलकता डाफ कसेचारी (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970	(1) खण्ड 7 के उपखण्ड (1) में,— (क) मद (घ) में, ''रजिस्ट्रोक्रन तियोजकों और'ं शब्दो का लोप किया जायेगा,	as required by sub-section (1) of section 4 of the Dock Wor- kers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), with the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport No. S. O. 2544, dated the 3rd September, 1987 in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 19th September, 1987 at pages
	(ख) मद (घ) में, ''समायोजन करने'' शब्दों का लोप किथा जायेगा।	3138 to 3140, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of 45 days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette :
	(2) खण्ड 8 में , उपखण्ड (ख) का लोप किया जायेगा ।	And whereas copies of the said Gazette were made avail- able to the public on the 24th September, 1987;

.

[भाग II----खण्ड 3(ii)]

And whereas objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government ;

-- -- ---

-

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Scheme, namely :----

SCHEME

1. (1) This Scheme may be called the Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1988.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. The Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto shall be amended in the manner specified in column (3) thereof.

SCHEDULE

Sl. No.	Short title	Amendment	
(1)	(2)	(3)	·
1. 1	10 Bombay D		

The Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956.

(i) in clause 7, in sub-clause (1),--(a) in item (c), the words "registered employers and" shall be omitted:

- (b) in item (d), the word "udjusting" shall be omitted:
- (ii) in clause 8, sub-clause (d)shall be omitted;
- (iii) in clause 15, in sub-clause (1), for item (c), the following item shall be substituted, namely: ---

"(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the competent authority of Bombay Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.";

- (iv) in clause 44, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word "Board", at both the places where it occurs, the word "Chairman" shall be substituted;
- (v) in clause 48. -

(a) sub-clause (2) shall be omitted and sub-clause (3), (4) and (5) shall be renumbered as sub-clauses (2), (3) and (4) respectively ;

(1)	(2)	(3)
		(a) in sub-clause (3) as so renumbered, for the words, brackets and figures "sub- clause (1), (2) and (3)", the words, brackets and figures "sub-clauses (1) and (2)," shall be substituted:

2. The Madras Dock (i) in clause 7, in sub-clause (1),-Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956

3. The Cochin Dock

ment) Scheme, 1959

(Regula-

Employ~

Workers

tion of

(a) in item (c), the words "registered employers and" shall be omitted;

(b) in item (d), the word "adjusting" shall be omitted;

(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;

- (iii) in clause 15, in sub-clause (1), for item (c), the following item shall be substituted, namely :---
 - "(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the competent authority of Madras Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.";
- (iv) in clause 45, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word "Board", at both the places where it occurs, the word "Chairman" shall be substituted;
- (v) in clause 49.---
 - (a) sub-clause (2) shall be omitted and sub-clauses (3), (4) and (5) shall be renumbered as sub-clauses (2), (3) and (4) respectively;
- (b) in sub-clause (3) as so renumbered, for the words, brackets and figures "sub-clauses (1), (2) and (3)", the words brackets and figures "sub-, clauses (1) and (2)" shall be substituted;
- (i) in clause 7, in sub-clause (1),---(a) in item (c), the words "registered employers and" shall be omitted;

(b) in item (d), the word "adjusting" shall be omitted;

(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;

(1)	(7)	(3)	7 15	73 \	(6)
(1)	(2)	بری 	(1)	(2)	(3)
		(iii) in clause 15, in sub-clause (1),			(v) in clause 48, —
		for item (c), the following item			(a) sub-clause (2) shall be orni-
		shall be substituted, namely:—			tted and sub-clauses (3), (4)
		"(c) persons who have been			and (5) shall be renumbered
		licenced to function as steve-			as sub-clauses (2), (3) and (4)
		dores by the competent			respectively;
		authority of Cochin Port			(b) in sub-clause (3) as so renum
		Trust shall be deemed to have	•		bered, for the words, brac-
		been registered under the			kets and figures "sub-clauses
		Scheme during the currency			(1), (2) and (3) ", the words,
		of the licence.";			brackets and figures "sub-
		(iv) in clause 45, in sub-clause (1),			clauses (1) and (2)" shall be
		in item (ii), in sub-item (b),			substituted;
,		for the word "Board", at both			
		the places where it occurs, the	5. The	Mormugao	(i) in clause 7, in sub-clause (1)
		word "Chairman" shall be	Dock (Berul)	Workers ation of Em-	(a) in itom (c), the words
		substituted;	• •	nt) Scheme,	"registered employers and" shall be omitted;
	,	(v) în clause 49,	1965		(b) in itsm (d), the word
					"adjusting" shall be omitted;
		(a) sub-clause (2) shall be omi-			
		tted and sub-clauses (3), (4)			(11) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;
		and (5) shall be renumbered			saan be onnews,
		as sub-clauses (2), (3) and (4) respectively;		(iii) in clause 16, in sub-clause (1),
					for item (c), the following item
		(b) in sub-clause (3) as so			shall be substituted, namely :
		renumbered, for the words,			We person to the t
		brackets and figures "sub-			"(c) persons who have been
		clauses (1), (2) and (3)", the			licenced to function as steve-
		words, brackets and figures			dores by the competent autho-
		"sub-clauses (1) and (2), shall be substituted;			rity of Mormugao Port Trust
		be substituted,			shall be deemed to have been
					registered under the Scheme
4. The	Visakhapatnam	(i) in clause 7, in sub-clause (1),			during the currency of the
Doc		(a) in item (c), the words			licence.":
(Ref	gulation of Em-	"registered employers and"			
	ment) Scheme,	shall be omitted;			(iv) in clause 46, in sub-clause 1,
1959)	 (b) in item (d), the word "adjusting" shall be omitted; 			in item (li), in sub-item (b),
		adjusting shar be billited,			for the word "Board" at both
		(ii) in clause 8, sub-clause (d)			the places where it occurs, the
		shall be omitted;			word "Chairman" shall be
		(iii) in clause 14, in sub-clause (1),			substituted;
		for item (c), the following item			
		shall be substituted, namely :	,		(v) in clause 50,
		"(c) persons who have been			(a) sub-clause (2) shall be omit-
		licenced to function as stevc-			ted and sub-clauses (3), (4)
		dores by the competent autho-			and (5) shall be renumbered
		rity of Visakhapatnam Port			
		Trust shall be deemed to have			as sub-clauses (2), (3) and 4
		been registered under the		,	respectively;
		Scheme during the currency of the licence.";			(\mathbf{h}) in such alarma $(\mathbf{h}) = \mathbf{h}$
					(b) in sub-clause (3) as so renum bered, for the words, brack-
		(iv) in clause 44, in sub-clause (1),			ets and figures "sub-clauses
		in item (ii), in sub-item (b),			(1), (2) and (3)", the words,
		for the word "Board" at both			brackets and figures "sub-
					11701-167018 ATLA 11711785 "KUIDe
		the places where it occurs, the word "Chairman" shall be subs-			clauses (1) and (2)" shall be

•

[भाग II-- बण्ड 3(ii)]

7

-

(1)	(2)	(3)	(1) (2)	(3)
Worke tion of		 (i) in clause 7, in sub-clause (1), (a) in item (c), the words "registered employers and" shall be omitted; 	of Employment) "regis	e 7, in sub-clause (1), — tem (d), the words stered employer and" be omitted;
		(b) in item (d), the word "adjus- ting" shall be omitted;	"adj us	itom (e), the word ting" shall be omitted;
		(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted:	shall be	omitted;
		(iii) in clause 16. in sub-clause (1) for item (c), the following item shall be substituted, namely :	for item shall be	ise 17, in sub-clause (1), (c), the following item substituted, namely :
		"(c) persons who have been licenced to function as steve- dores by the competent autho- rity of Kandla Port Trust shall be deemed to have been registered under the Scheme	licence dores b rity of (be dee tered y	ons who have beer d to function as steve- v the competent autho- Calcutta Port Trust shal med to have been regis- inder the Scheme during rency of the licence."
		durin g the currency of the licence."		48, in sub-clause(1), (ii), in sub-itom (b)
		(iv) in clause 46, in sub-clause (1), in item (li), in sub-ltem (b), for the word "Board" at both the places where it occurs, the	the places	word "Board" at both where it occurs, the wor an" shall be substituted
		word "Chairman" shall be sub- stituted;	(v) in clau	
		 (v) in clause 50, (a) sub-clause (2) shall be omi- tted and sub-clauses (3), (4) 	tted a and (5	lause (2) shall be omi- nd sub-clauses (3), (4) shall be renumbered -clauses (2), (3) and (4 tively;
		and (5) shall be renumbered as sub-clauses (2), (3) and (4) respectively;	bored and fi	o-clause (3) as so ronum for the words, bracket gures "sub-clauses (1) (3)", the words, brack
		(b) in sub-clause (3) as so renumbered, for the words, brackets and figures "sub-clauses (1), (2) and (3)", the words, brackets and	ets and	l figures "sub-clause i (2)" shall be substi
		figures "sub-clauses (1) and (2)" shall be substituted;		. LB-13013/7/87L. IV A NARAIN, Jt. Secy
		PRINTED BY THE MANAGER, GOVT.	OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW D5LHI	110064